



**कार्यालय : अपर प्रधान वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-21/2019- 440

दिनांक :- 17.08.2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/
गुमला वन प्रमंडल, गुमला/ लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/ सिमडेगा वन
प्रमंडल, सिमडेगा/दुमका वन प्रमंडल, दुमका/साहेबगंज वन प्रमंडल,
साहेबगंज/जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा/कोल्हान वन प्रमंडल,
चाईबासा/सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/जमशेदपुर वन प्रमंडल,
जमशेदपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी
प्रमंडल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/ सामाजिक वानिकी
प्रमंडल, सिमडेगा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में
कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना
(जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी
तट वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 135.368
लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ रुपये)** मात्र
राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0ब0-33/2019-21 व0प0
दिनांक-29.07.2019 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0 बजट-33/
2019-10 व0प0 दिनांक-05.08.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796-जनजातीय क्षेत्र
उपयोजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष
2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 135.368 लाख (एक
करोड़ पैंतीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित
इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	87.133
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	48.235
कुल :-		135.368

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्बन्धित अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 एवं ऑन लाईन उप-आवंटन अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।
3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796590103 तथा 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।
8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे

दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

- (XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।
- (XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।
18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-21/2019-440 दिनांक- 17.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/दुमका/ जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/गुमला/ दुमका/ देवघर/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-21/2019-440 दिनांक- 17.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ खूँटी/ गुमला/ लोहरदगा/ सिमडेगा/ दुमका/ साहेबगंज/ जामताड़ा/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 257.29 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि०मी० में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि०मी० 10 यूनिट)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (समापन कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				8259.01	4572.13	12831.14
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	10.00	100.00	8.259	4.572	12.831
2	खूँटी वन प्रमण्डल	5.00	50.00	4.130	2.286	6.416
3	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	5.00	50.00	4.130	2.286	6.416
4	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	5.00	50.00	4.130	2.286	6.416
5	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	5.00	50.00	4.130	2.286	6.416
6	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	14.00	140.00	11.561	6.401	17.962
7	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	5.00	50.00	4.130	2.286	6.416
8	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	5.00	50.00	4.130	2.286	6.416
9	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	5.00	50.00	4.130	2.286	6.416
10	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	15.00	150.00	12.388	6.858	19.246
11	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	15.00	150.00	12.388	6.858	19.246
12	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	2.50	25.00	2.064	1.143	3.207
13	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	4.00	40.00	3.303	1.829	5.132
14	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	5.00	50.00	4.130	2.286	6.416
15	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	5.00	50.00	4.130	2.286	6.416
योग :-		105.50	1055.00	87.133	48.235	135.368

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300	
पौधों की दूरी	2mx3m	
1 यूनिट का परिमाण	2000 m ²	100*20
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m	
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	257.29	रुपये

क्र.सं.	कार्य का विवरण	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी	100 संयोजित	कुल
A	वित्तीय वर्ष 2020-21 में संपादन कार्य (द्वितीय वर्ष) / मजदूरी दर प्रति मानव दिवस				रु. 257.29	
1	पौधों का क्रय ढुलाई सहित 360	10 रु० प्रति	0	0.00	3600.00	3600.00
2	वृक्षारोपण	प्रति इकाई	6.6	1698.11	0.00	1698.11
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति इकाई	7.50	1929.68	0.00	1929.68
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	4631.22		4631.22
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	472.13	472.13
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई		0.00	500.00	500.00
	कुल:-		32.10	8259.01	4572.13	12831.14

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-21/2019/440

दिनांक - 17-Aug-2020

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37363	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	825,900.00 रुपये आठ लाख पच्चीस हजार नौ सौ
2	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37364	RNGFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO DFO. KHUNTI	413,000.00 रुपये चार लाख तेरह हजार
योग:				1,238,900.00
क्रमिक योग:				रुपये बारह लाख अड़तीस हजार नौ सौ
(NAND KISHORE SINGH)				
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND				

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37365	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	413,000.00 रुपये चार लाख तेरह हजार
4	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37366	LDGFOR001 KASH KUMAR UJJWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER	413,000.00 रुपये चार लाख तेरह हजार
5	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37367	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	413,000.00 रुपये चार लाख तेरह हजार

योग:

1,239,000.00

क्रमिक योग:

रुपये चौइस लाख सित्योत्तर हजार नौ सौ

2,477,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37368	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	1,156,100.00 रुपये ग्यारह लाख छप्पन हजार एक सौ
7	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37369	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL D.F.O. OFF. SAHIBG	413,000.00 रुपये चार लाख तेरह हजार
8	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37370	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	413,000.00 रुपये चार लाख तेरह हजार
योग:				1,982,100.00
क्रमिक योग:	रुपये चवालीस लाख साठ हजार			4,460,000.00
(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37371	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	413,000.00 रुपये चार लाख तेरह हजार
10	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37372	SKLFOR001 SRI. ABHISHEK KUMAR (I.F.S.) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,238,800.00 रुपये बारह लाख अड़तीस हजार आठ सौ
11	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37373	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S.) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,238,800.00 रुपये बारह लाख अड़तीस हजार आठ सौ
योग:				2,890,600.00
क्रमिक योग:	रुपये तीहत्तर लाख पचास हजार छः सौ			7,350,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme : NA	37374	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	206,400.00 रुपये दो लाख छः हजार चार सौ
13	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme : NA	37375	SGHFOR001 S.M. MAHALING (I.F.S.) D.F.O. SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	330,300.00 रुपये तीन लाख तीस हजार तीन सौ
14	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme : NA	37376	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	413,000.00 रुपये चार लाख तेरह हजार
योग:				949,700.00
क्रमिक योग:	रुपये तिरयासी लाख तीन सौ			8,300,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37377	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	413,000.00 रुपये चार लाख तेरह हजार
16	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37378	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI RANCHI FOREST DIVISION RA	457,200.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार दो सौ
17	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37379	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
योग:				1,098,800.00
क्रमिक योग:				रुपये तिरनावे लाख निम्नानवे हजार एक सौ 9,399,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV,JHARKHAND


क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37380	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
19	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37381	LDGFOR001 KASH KUMAR UJJWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
20	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37382	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
योग:				685,800.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड चौरासी हजार नौ सौ			10,084,900.00
(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND				
Page 7 of 11	59.97.152.165	RANCH		

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
21	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme : NA	37383	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	640,100.00 रुपये छः लाख चालीस हजार एक सौ
22	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme : NA	37384	SBJFOR001 KAS PALIWAL SHR. OR.OFF.SAHIBG	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
23	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme : NA	37385	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
योग:				1,097,300.00
क्रमिक योग:				11,182,200.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF,DEV,JHARKHAND	

क्रमांक	विषय कीड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme : NA	37386	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
25	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme : NA	37387	SKLFOR001 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	685,800.00 रुपये छः लाख पचयासी हजार आठ सौ
26	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme : NA	37388	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	685,800.00 रुपये छः लाख पचयासी हजार आठ सौ
योग:				1,600,200.00
क्रमिक योग:				12,782,400.00
			(NAND KISHORE SINGH)	
			ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
27	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37389	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	114,300.00 रुपये एक लाख चौदह हजार तीन सौ
28	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37390	SGHFOR001 S.MAHALING (I.F.S.) SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	182,900.00 रुपये एक लाख बयासी हजार नौ सौ
29	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37391	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
योग:				525,800.00
क्रमिक योग:			रुपये एक करोड तैतीस लाख आठ हजार दो सौ	13,308,200.00
			(NAND KISHORE SINGH)	
			ADDL. PCCF,DEV,JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
30	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	37392	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST (1279)	NA		



योग:

228,600.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड पैलीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ

13,536,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND